

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सीकरी (डीग)

भाया

बनाम

मेल्वाज वर्ग

किस्म मुकदमा

डाया

मुकदमा नं

२३/२

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय	नंबर अहकाम हुकम र में जा
15 <sup>10</sup> / <sub>24</sub>	<p>पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है, अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 04/11/24 को पेश हो।</p>	
04 <sup>11</sup> / <sub>24</sub>	<p>पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है, अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 02/12/24 को पेश हो।</p>	
02 <sup>12</sup> / <sub>24</sub>	<p>पत्रावली आप पेश की, परन्तु मे दिनांक 02/11/24 को वकिल वाडिया ने अवगत कृतया कि वाडिया की मृत्यु हो चुकी है, वकिल वाडिया ने इस कार्य के ई कार्यवाही नही की, वकिल वाडिया के बोट-बोट अवसर देने पर भी वकिल वाडिया ने आवश्यक कार्यवाही नही की, नियमानुसार डिप्टी मजिस्ट्रेट व्यक्ति डाटा न हो देवा किया जा सकरा है न ही मृतक व्यक्ति के विधवा देवा किया जा सकरा है। अतः देवा वारी के नियमानुसार चलने योग्य नही केवल देवा के कार्य करिज किया जावा है। पत्रावली के मल सुमाट बोट डाखिल उबरत है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग) राज